-प्रेस नोट-

दिनांक- 20.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 13 किलो 800 ग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद, दुकानदार/अभियुक्त मौके से फरार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर लगातार चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 27 गिट्टू/चरखी (कुल 13 किलो 800 ग्राम) पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। पुलिस टीम को दुकान की तरफ आता देख दुकान का मालिक दुकान से छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे की बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 09/25 धारा 223बी/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) बनाम अभियुक्त देशराज पुत्र रामदीन निवासी बाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर के पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता–

देशराज पुत्र रामदीन निवासी बाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर (फरार)

विवरण बरामदगी –

- 27 गिट्टू/चरखी (कुल 13 किलो 800 ग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. है0का0 122 संजय सिंह थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
4. म0का0 828 पुजा निश्चल थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
5. म0का0 954 रेखा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा शमशान भूमि विवाद में फायरिंग करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2025 को वादी अविनाश पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी वाल्मीकि बस्ती देवबन्द जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र अज्ञात 2. सचिन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. युवराज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. तंजीम पुत्र अज्ञात 5. दिलनवाज पुत्र फुरकान 6. प्रियांशु पण्डित पुत्र अज्ञात निवासीगण कस्बा देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 7. अभिषेक त्यागी पुत्र अज्ञात निवासी घलौली 8. सौरभ पुत्र विजय निवासी अज्ञात 9. रजत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जोला नागल 10. राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी अज्ञात 11. नौशाद पुत्र अव्वल निवासी देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनुर व 18-20 व्यक्ति अज्ञात तीन गाडियों में सवार होकर तथा ट्रेक्टर ट्राली में निर्माणधीन सामग्री ईंट, सिमेन्ट, रेत आदि लेकर बच्चो के कबिस्तान में आये तथा खाली पड़ी भूमि पर निर्माण करने लगे। वहाँ मौजूद वाल्मिकी समाज के लोगो ने विरोध किया तो उपरोक्त बन्टी आदि ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी-गंदी गालिया देते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायरिंग में विनीत पुत्र सुनील व दीपक उर्फ मंगत पुत्र राजेश को गोली लगी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिसके सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0- 19/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/ /352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(1) द, ध व 3(2)5 क एससी / एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया।

व दिनांक 18.01.2025 को उ0नि0 विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा उक्त संदर्भ में ही अभि0गण 1. बंन्टी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2. सचिन पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. युवराज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. तंन्जीम पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5. दिलनवाज पुत्र फुरकान निवासी देवबन्द जिला सहारनपुर 6. प्रियांशु पन्डित पुत्र अज्ञात निवासी देवबन्द , थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 7. अभिषेक त्यागी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम घलौली 8. सोरभ पुत्र विजय निवासी अज्ञात 9. रजत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जोला थाना नागल 10. राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी अज्ञात 11. नौशाद पुत्र अव्वल निवासी देवबन्द , थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 12. दीपक उर्फ मंगत पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 13. विनीत पुत्र सुनील वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 14. कुलदीप पुत्र प्रकाश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 15. सन्नी पुत्र मोहन वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 16. अनिकेत पुत्र बब्बू वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 17. अवीनाश पुत्र नन्दकिशोर वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 18. आशीष पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 19. दीपक चंचल पुत्र नरेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 20. आकाश पुत्र राजू निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

21. सावन पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 22. राहुल पुत्र देवेन्द्र निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 50-55 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनो पक्षो के मध्य जमीन पर कब्जे को लेकर दोनो पक्ष एक राय होकर एक दूसरे पर जाने से मारने की नीयत से घातक हथियारों व लाठी डण्डों से मारपीट करना तथा एक दूसरे पर फायरिंग करना जिसमें कुछ लोगों का मौके पर घायल हो जाना तथा मौके पर खडी गाडियो को लाठी व डण्डो से तोडकर छतिग्रस्त कर देना तथा मुख्य मार्ग पर फायिरंग कर भय व आतंक का महौल पैदा करना तथा रास्ते पर आने-जाने वाले लोगों में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0-20/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/324(3) बीएनएस व 7 क्रिमिनल एमण्डमेण्ट एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **युवराज उर्फ घोलू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द सहारनपुर** को देवबन्द रूडकी निर्माणाधीन रेलवे लाइन अनवरपुर अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 18.01.2025 को पिलर नं0 85 पर प्लाट के कब्जे को लेकर झगडे मे मैने गोली चलाई थी जिससे दो लोग गोली गलने से घायल हो गये थे। तभी से मै पुलिस से बचने के लिये इधर-उधर छिपता घूम रहा हूं। आज मै जंगल से निकलकर कही भागने के लिये हाईवे की तरफ जा रहा था कि मुझे आप लोग दिखाई दिये तो मै मुडकर वापस चलने लगा था लेकिन आप लोगो ने मुझे पकड लिया है। जो तमन्चा मेरे पास से बरामद हुआ है यह वही तमन्चा है जिससे मैने परसो बाल्मिकी समाज के लोगो के ऊपर फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

युवराज उर्फ घोलू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा /01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राकेश पवांर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 655 कमलेश यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. एचसी 608 सन्दीप भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 20.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1030 अवैध नशीली गोलीयाँ (ALPRAZOLAM TABLETS) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर** को जंगल ग्राम नल्हेडा से नाजायज कुल 1030 नशीली गोलीयाँ 10X6X10 TABLETS, NPX ALPRAZOLAM TABLETS I.P. O.5 mg ALTRA SAFE – 0.5 EUPHORIA INDIA के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-17/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त अब्दुल वहाब उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0—155/15 धारा 13(2) सीएस एक्ट चालानी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
2. मु0अ0स0—02/16 धारा 13(2) सीएस एक्ट चालानी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
3. मु0अ0स0—21/22 धारा 174ए भादवि चालानी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
4. मु0अ0स0—22/22 धारा 174ए भादवि चालानी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा
5. मु0अ0स0—17/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 1030 अवैध नशीली गोलीयाँ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 राजकुमार साहरण थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 378 तरूण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 20.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 102 ग्राम अवैध चरस व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त आकाश उर्फ भोला पुत्र सुरेश निवासी सरदार कालोनी , शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को शंकलापुरी रोड पर जुल्मगढ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 102 ग्राम अवैध चरस व 01 स्कुटी बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 43/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ, यह चरस मै हरियाणा से लाकर यहा चरस पीने वालो को बेच देता हूँ। इससे मुझे जो मुनाफा होता है उसे अपने शौक को पूरा करने में खर्च कर देता हूँ। जिस व्यक्ति से मैं चरस लेकर आया हूँ उस व्यक्ति का नाम पता मैं नहीं जानता हूं। और मैं इस चरस को बेचने के लिये ही यहा पर आया था, कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकाश उर्फ भोला पुत्र सुरेश निवासी सरदार कालोनी , शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 102 ग्राम चरस
- 01 स्कूटी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20-01-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 13.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20/01/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त वाजिद उर्फ बिगाड़ा पुत्र आबिद मौहल्ला गुज्जरबाड़ा कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** को निर्माणाधीन कॉलोनी से खानपुर गुर्जर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 13.5 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 25/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वाजिद उर्फ बिगाड़ा पुत्र आबिद मौहल्ला गुज्जरबाड़ा कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 13.5 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 53/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 130/24 धारा 8/21 एनडीपीएस अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 387/17 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 326 रिंकू थाना गगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त नीशू गुलाटी पुत्र अनिल कुमार निवासी मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को वाद स0 508/24 मु0अ0स0 31/01 धारा 406 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर में मिशन कम्पाउण्ड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नीशू गुलाटी पुत्र अनिल कुमार निवासी मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 881 धीरज कुमारथाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।